झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त एवं प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय में 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत भी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के कार्यरत रहने एवं सरकारी अनुदान प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 64/2016

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त एवं प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय के शासी निकाय/प्रबन्ध समिति के सचिव/प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाता है कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 7/वि.7-35/2015-1736 दिनांक 07.09.2016 द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत भी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के कार्यरत रहने एवं सरकारी अनुदान प्राप्त करने के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है कि-

(क) राज्य सरकार में कार्यरत कर्मियों हेतु निर्धारित सेवानिवृत्ति उम्र सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जो कि अधिकतम 60 वर्ष है।

(ख) इंटर महाविद्यालय/विद्यालय को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान राशि को 60 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच वितरित नहीं किया जाय।

इस विज्ञप्ति के माध्यम से झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 की कंडिका 9(4) में प्रदत्त शक्ति के तहत सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निदेश का अनिवार्य रूप से अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

JAC/कॉ.स्था./3384/16/SECY/364/16
Dt. 05.10.2016
D.O.P : 06.10.2016

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

8X8